भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2298
जिसका उत्तर 8 अगस्त, 2025 को दिया जाना है ।
17 श्रावण, 1947 (शक)

पीएमजीदिशा के अंतर्गत आईटी प्रशिक्षण

2298. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई 2025 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;
(ख) आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के लाभार्थियों का प्रतिशत कितना-कितना है; और
(ग) इस योजना के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और रोबोटिक्स जैसी प्रौद्योगिकियों को किस प्रकार शामिल किया गया है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): सरकार ने डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा) शुरू किया। 6 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य की तुलना में देश भर में कुल 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया था।

यह योजना सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) द्वारा संचालित 4.39 लाख सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से लागू की गई थी। यह योजना आधिकारिक तौर पर 31 मार्च 2024 को समाप्त हुई थी।

पीएमजीदिशा योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस डिवाइस (जैसे टैबलेट, स्मार्ट फोन आदि) संचालित करने, ईमेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने, सरकारी सेवाओं का उपयोग करने, सूचना की खोज करने, डिजिटल भुगतान करने आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाना था और इसलिए उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और संबंधित अनुप्रयोगों विशेष रूप से डिजिटल भुगतान का उपयोग करने में सक्षम बनाना था।

इस प्रकार, इस योजना का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना है, विशेष रूप से 14 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में ग्रामीण आबादी को लक्षित करना। अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी), गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों (बीपीएल), महिलाएं, दिव्यांग समूह वाले व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों जैसे समाज के सीमांत वर्गों को उक्त योजना के तहत शामिल किया गया था। प्रशिक्षण की अवधि 20 घंटे थी, जिसे न्यूनतम 10 और अधिकतम 30 दिनों में पूरा किया जाना था।

इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुसार, एक परिवार को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया था जिसमें परिवार के मुखिया, पति/पत्नी, बच्चे और माता-पिता शामिल थे। ऐसे सभी परिवार जहां परिवार का कोई भी सदस्य डिजिटल रूप से साक्षर नहीं था, उन्हें उक्त योजना के तहत पात्र परिवार माना जाएगा।

*****